

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत उपखण्ड पिन्की मुकाम राजा खेड़ा

व्यजेन्डी बनाम राम मेरोडी

किस्म मुकदमा 212/12 नं. 54/15 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
03 ⁰¹ / ₂₂	<p>मूल वाद अदम फेंकी अदम लामिरी में खारिज हो चुका है अतः मूल कर्दि के खारिज होने की स्थिति में पहचानना पत्र भी चलने योग्य नहीं है पर पहचान पत्र इसी सेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुभ्रा लेकर दारिखल दफ्तर हो</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर) </p>	